मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 20 मार्च, 1991 (फाल्गुन 29, 1912)
समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री दुलीचन्द जैन, सदस्य, मंदसौर के जावद विधान सभा क्षेत्र की वन भूमि पर राजस्थान राज्य के वन कर्मियों द्वारा कब्जा किए जानें की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री मोतीलाल वोरा / राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल / श्यामलाल पंथी, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम मुनीमपुर में हुई लूट की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री अनूप मिश्रा, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिला चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दवा खरीदी में की गई अनियमितताओं की ओर राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री रामानंद सिंह / उदय प्रकाश मिश्र, सदस्य, सतना जिले के बरौंधा थाना अंतर्गत ग्राम नरदहा एवं छिवलाह में डकैती की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मुन्ना सिंह भदौरिया, सदस्य -

(क) जिला भिण्ड के विधान सभा क्षेत्र अटेर के ग्राम दतावली में पशु चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में.

(ख) ग्राम नावली वृन्दावन में शाला भवन का निर्माण कराये जाने के संबंध में.

(ग) ग्राम रिदौली से भिण्ड मुख्य मार्ग पर पड़ने वाली पुल पुलियों का निर्माण कराये जाने के संबंध में.

(घ) ग्राम बिजौरा में प्राथमिक कन्या शाला खोले जाने के संबंध में.

(ड) ग्राम भोतपुरा में इंटर कॉलेज का भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में.

(च) ग्राम मोरा, जम्होरा, धरई, खेराट, स्यावली, खेडरिकापुरा को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु मार्ग निर्माण कराये जाने के संबंध में.

(छ) ग्राम परियामा, देवरा, स्यावली में माध्यमिक विद्यालय खोले जाने के संबंध में.

(ज) ग्राम स्यावली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में.

(2) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य -

(क) जिला दुर्ग के विकासखण्ड बालोद के ग्राम साल्हेटोला जगरूवा से नर्रा तक के मार्ग की पक्की सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में.

(ख) ग्राम अमलीडीह में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कराये जाने, एवं

(ग) ग्राम बड़भूम में उच्चतर माध्यमिक शाला भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में,

(3) चौधरी मणिशंकर सुमन, सदस्य, जिला दमोह, विधान सभा क्षेत्र पथरिया के पथरिया-केनबना मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

(4) श्री अशोक कुमार चौरसिया, सदस्य, जिला छतरपुर, विकास खण्ड बड़ामलहरा के बरेढ़ी हरिजन बस्ती में हैण्ड पंप लगाये जाने के संबंध में,
याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

4. राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन का वक्तव्य

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, दिनांक 6 जुलाई, 1990 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्रमांक 456) के उत्तर में संशोधन किये जाने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

5. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य द्वारा
दिनांक 11 मार्च, 1991 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा [क्रमशः]

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्य गण अत्यन्त कृतज्ञ हैं"

निर्धारित समय

सायं 4.00 बजे

6. वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक, लेखानुदान का उपस्थापन

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक, लेखानुदान का उपस्थान करेंगे.

भोपाल
दिनांक 19 मार्च, 1991

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव
मध्यप्रदेश विधानसभा.